

है। विदेश में, खासकर अमरीका में, अभी एक ऐसी दवाई का संशोधन हुआ है, जिसका नाम है ग्लोसी टलर, एच० एफ०, जिसे इनवेरीनमेंटल प्रोटेक्शन एथारिटी (इपीस) को प्रायात करके इस्तेमाल करवाना चाहिए, ताकि ग्राम के पेड़ों को बचाया जा सके। किसानों को राहत मिलनी चाहिए, सबसिडी मिलनी चाहिए। एक हाई-पावर कमेटी का गठन कर के इस विषय में पूर्ण संशोधन कराना चाहिए। जिस दवाई का असर नहीं होता है, उसमें मिलावट करने वालों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एक सर्वे कर के कितना आर्थिक नुकसान हुआ है, उसका अन्दाजा लगा कर योग्य आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए।

(vii) UTILISATION OF RIVER WATERS GOING WASTE INTO SEA ON DROUGHT AFFECTED DISTRICTS OF TAMIL NADU

SHRI K. T. KOSALRAM (Tiruchendur): The Irrigation Commission of 1973 had gone in great depth into the question of utilising the river waters going waste into the sea in the interests of the people having in drought-afflicted parts of our country. In Tamil Nadu they located Ramnathapuram, Tirunelveli and Coimbatore as permanently drought-afflicted areas and their redemption lies in utilising the waters of the west-flowing rivers which are going waste now in view of Kerala being surplus in waters. In pursuance of the suggestion of this Commission, the Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi, constituted in 1975 a Technical Committee, after getting the concurrence of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu States, to study further this question. The technical people at the highest level of these three States were made the members of this Committee. It is reported that though they have held a few meetings, they have not yet come to the stage of finalising their recommendations. Meanwhile, the Planning Commission constituted a technical committee comprising tech-

nical people belonging to the Central Government to study this question and make recommendations. I understand that they have submitted their Report to the Planning Commission.

I demand that expeditious action should be taken to implement the recommendations of this Technical Committee of Planning Commission so that about 1 million acres in the drought afflicted areas of Tamil Nadu can be brought under irrigation. Steps should also be taken to expedite the report of the Technical Committee comprising of representatives of three States.

(viii) INCREASE IN CASES OF MALARIA DUE TO SHORTAGE OF INSECTICIDES

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन देश में मच्छरों व मलेरिया के बढ़ते हुए प्रकोप और उस से उत्पन्न स्थिति की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

पिछले ढाई वर्ष में (जनता पार्टी की उदासीनता एवं अव्यवस्था के कारण) हमारे देश में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन योजना प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पायी जिस के कारण पूरे देश में विशेषकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में मलेरिया एवं मच्छरों का प्रकोप बढ़ा है। यह कार्य-क्रम कीटनाशक दवाओं के अभाव में प्रभावित हुआ है। क्या ढाई वर्ष में कीटनाशकों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पायी? यदि हां, तो क्या कारण है कि आवश्यकतानुसार कीटनाशक दवाओं की खरीद नहीं की गई?

आजकल ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जन-जीवन मलेरिया एवं मच्छरों के बढ़ते हुए प्रकोप से पीड़ित है एवं आने वाले गर्मी तथा वर्षा के मौसम में इस का प्रकोप और बढ़ने की आशंका है। स्वास्थ्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार मलेरिया व मच्छरों के बढ़ते हुए प्रकोप को युद्ध